



Fax no. 0135-2658294

E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 151 /12-1 दिनांक, देहरादून 27 जुलाई, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, इन्दिरा नगर,

फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल में टी0 2 (ओ0डी0आर0) से मंजोस्वी मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/11141/2015 पर लगी आपत्तियों का निराकरण के संबंध में।

संदर्भ:-

प्रभागीय वनाधिकारी, भू0सं0 वन प्रभाग, लैन्सडौन का पत्रांक 2312/12-1 दिनांक-20.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/11141/2015 पर आपके द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, भू0सं0 वन प्रभाग, लैन्सडौन के संदर्भित पत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है -

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	Short narrative of the project is still not giving adequate information in Part-1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना से संबंधित संक्षिप्त इतिहास फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-ए(iii) में अंकित कर दिया गया है।
2.	Total period for which the proposed land to be diverted is not mentioned in Part-1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु कुल अवधि फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-ए(x) में अंकित कर दी गई है।
3.	GPS coordinate of 200-300m distance along the proposed alignment including geo-coordinate on every turn is provided by the State Govt. in google image which should be on GIS software generated georeferenced map.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संबंधित मानचित्र फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-C (IV) में अपलोड कर दिया गया है।
4.	The area mentioned in Sub Divisional Level Committee (SDLC) and village level Committee (VLC) proceedings is not match with the area proposed for diversion. The State Govt. may revise the area accordingly to SDLC and VLC.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित सूचना फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-K(a) में अपलोड कर दी गई है।
5.	The road as mentioned in the title is up to Majokhi but in KML file the end point of the road is in Dhari. The State Govt. may comment on this and change the title of the project accordingly, if required.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित सूचना फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-C(b) में अपलोड कर दी गई है।
6.	The CA scheme and other details pertaining to CA site is provided in the hard copy as well as in online Part-I and II is for area 9.8 ha. While it should be given for twice the area proposed for diversion i.e. $5.69 * 2 = 11.318$ ha.. The State Govt. may revise the CA area and upload the other required details/documents accordingly in Part-I and II.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित सूचना फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-L में अंकित कर दी गई है तथा संबंधित दस्तावेज पैरा-L(f) में अपलोड किये गये हैं।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
7.	The Sol toposheet map indicating area proposed for CA and GIS software generated geo referenced map showing coordinates for all corners of the polygon is not uploaded in the designated column in Part I and II.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संबंधित मानचित्र फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-L(v) में अपलोड कर दिया गया है।
8.	The KML file shows the CA site proposed in four patches while in details of column L of Part I detail of only one patch is provide correct detail of CA of CA area proposed in the proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संबंधित मानचित्र फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-L(c) में अपलोड कर दिया गया है।
9.	Authority letter for the applicant is not uploaded in Part-I. The letter uploaded is not correct.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र भाग-1 के क्रम सं० xvii में अपलोड किया गया है।
10.	Village wise breakup is not provided in Part-I.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित सूचना फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-B(2.3) में अंकित की गई है।
11.	Correct component wise break up in not provide in Part-I.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित सूचना फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-B(2.4) में अंकित की गई है।
12.	Density of the area proposed for diversion should be mention in decimals in Part-II.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित सूचना फॉर्म-ए के भाग-2 के बिन्दु सं०-4(i) में अंकित की गई है।
13.	Cost benefit analysis (C/B) is not provided in correct form as it should be given with proper quantification of loss and benefit in monetary terms.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित सूचना फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-G(a) में अपलोड कर दी गई है।
14.	Approximate distance is not provided site from the forest boundaries is not provided.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित सूचना फॉर्म-ए के भाग-2 के बिन्दु सं०-7 में अंकित की गई है।
15.	The NPV calculation is not provided with the proposal. The state Govt. is advised to review the density and provide NPV calculation accordingly.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एन०पी०वी० से संबंधित दस्तावेज फॉर्म-ए के भाग-1 की अतिरिक्त सूचना के बिन्दु सं०-02 में अपलोड कर दिये गये हैं।
16.	CA stipulation is not commensurate with the total forest area diverted in the district.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित सूचना फॉर्म-ए के भाग-1 के पैरा-L में अपलोड कर दी गई है।
17.	In the DSS analysis 7.0 ha. Area of CA is moderately dense forest (MDF) and 1.0 ha. Area in very dense forest (VDF) which is not suitable for CA. The state govt. may review the area again and proposed the VDF and MDF area in other places if required.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र लैन्टाना तथा अन्य झाड़ियों से अच्छादित है। वृक्ष विहीन क्षेत्र है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

dc